

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 141807

पटना, दिनांक 12/03/2013

ग्रा0वि0- 8 (थ)- 73/2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- मनरेगा कार्यक्रम पर विधिक जागरूकता शिविर एवं लोक अदालतों के आयोजन के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 137637 दिनांक- 5.02.2013 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र का संदर्भ लिया जाये जिसके द्वारा राज्य विधि सेवा प्राधिकार द्वारा जिलों में शिविरों के माध्यम से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता के आयोजन संबंधी विभागीय नीति के अवगत कराया गया है। इस संबंध में विभाग फलाफल से अवगत नहीं है । आपसे पुनः अनुरोध है कि विभागीय पत्र के आलोक में की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में विभाग को प्रत्येक माह के 7वीं तिथि तक उपलब्ध करायी जाये ।

प्रपत्र

जिला का नाम.....

क्रम0 सं0	विधिक जागरूकता शिविर आयोजन का स्थान	तिथि	लोक अदालत आयोजन का स्थान	तिथि	आवेदन की संख्या			सुझाव
					प्राप्त	निस्तार	लंबित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(हस्ताक्षर)
जिला पदाधिकारी

आपसे अनुरोध है कि विधिक जागरूकता शिविर एवं लोक अदालतों का नियमित आयोजन किया जाये ।

विश्वासभाजन
11/3/13
(अमृत लाल मीणा)
सचिव